(18)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 11/2024
जीसीएमएस न :– 2024/48
दायर दिनांक :– 03.04.2024
निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

अनवान

1– श्री ग्राम पंचायत गोगाथला जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गोगाथला, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द

निगराकार

बनाम

1– श्री ईश्वर लाल पिता फतहलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी माउ ग्राम पंचायत गोगाथला, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनियम ग्राम पंचायत गोगाथल पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 977 दिनांक 15.07.2019

उपस्थित :–

1– श्री उदयलाल कुमावत अधिवक्ता निगराकार

2– श्री रतनलाल रावत अधिवक्ता गैरनिगराकार

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि निगराकार ग्राम पंचायत गोगाथल पंचायात समिति रेलमगरा में वर्तमान में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त है। ग्राम पंचायत गोगाथला की आबादी भूमि जिनमें ग्रामवासी 50 वर्षो से अधिक पुराने मकान बना कर जिनमें कई पिढीयॉ निवासरत है और उस व्यक्ति के पास स्वामित्व संबधित कोई दस्तावेज नहीं होने पर उस व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज तथा बयानो के सहित प्रस्तुत करने पर उस व्यक्ति को ग्राम पंचायत पट्टा जारी करती हैं। यह कि निगराकार द्वारा विपक्षी के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये गये दस्तावेत को सरसरी तोर पर देखा जाकर पट्टा जारी किया गया जो पट्टा संख्या 977 है । यह कि निगराकार के द्वारा विपक्षी के पक्ष में पट्टा जारी करने के पश्चात ग्राम पंचायत गोगाथल के कुछ लोगो द्वारा शिकायत की गई जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

पर्चा मौका दिनांक 19.2.2024 को बनाया एवं पर्चा मौका बनाने से पंचायत की जानकारी में आया कि विपक्षी द्वारा पंचायत को गलत तथ्य बता कर पट्टा जारी करवाया है और पटवारी हल्का की निशादेही से मेकान के संबंध में जानकारी की गई तो जानकारी में आया कि विपक्षी का मकान ग्राम मउ की आराजी संख्या 109 ग्राम पंचायत गोगाथल की आबादी भूमि नहीं होने के बावजूद पंचायत को मुगालते में रख कर विपक्षी द्वारा यह पट्टा जारी करवाया है जो गलत है, पटवार हल्का गोगाथला व अन्य मौजुद लोगो की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया गया, जिससे जाहिर आया कि विपक्षी का मकान ग्राम मउ की आराजी संख्या 109 ग्राम पंचायत गोगाथला की आबादी भूमि नहीं होने के बावजूद पंचायत को मुगालात में रख कर विपक्षी द्वारा यह पट्टा जारी करवाया है जो गलत है होकर निरस्त होने योग्य हैं, यह कि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में गलत तथ्य बता कर ग्राम पंचायत गोगाथला से पट्टा जारी करवा लिया जबकि ग्राम पंचायत गोगाथला की आराजी संख्या 109 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर अन्य लोगो की व्यक्तिगत खातेदारी की है । जिससे विपक्षी का पट्टा निरस्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टे का यदि उप पंजियक कार्यालय रेलमगरा में पंजियन करवाया गया है तो उप पंजियक कार्यालय रेलमगरा में पट्टा निरस्तीकरण का अंकन कराया जाना भी आवश्यक है। यह कि निगराकार द्वारा विपक्षी को पट्टा पेश करने हेतु कहा गया, लेकिन विपक्षी ने पट्टा पेश नहीं किया गया जिससे पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि उक्त गलत पट्टा जारी होने की जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व में नहीं रही है । ग्रामवासी गोगाथला द्वारा कुछ समय पूर्व शिकायत दर्ज कराने के पश्चात् हाल ही में ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का की मौजुदगी में दिनांक 19.2.2024 को पर्चा मौका देख कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई तो निगराकार को विपक्षी के पक्ष में गलत पट्टा जारी होने की जानकारी हूई। जिसके पश्चात् निगराकार द्वारा विपक्षी को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात् जमाबदी की नकल दिनांक 23.2.2024 को प्राप्त कर वस्तुस्थिति स्पष्ट रूप से सामने आई जिसके बाद यह निगरानी तारीख जानकारी से अंदर मयाद प्रस्तुत की जा रही है । अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जायेगें। यह कि निगरानी याचिका आप न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में निहित होकर पुरे न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत गोगाथला द्वारा जारी पट्टा संख्या 977 को निस्तत फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावे एवं उप पंजियक कार्यालय रेलमगरा में उक्त निरस्ती का अंकन कराये जाने का आदेश फरमाया जावे । कि अन्य कोई दाद जो आप न्यायालय निगरानीकार के पक्ष मे उचित समझे वह भी दिलाई जावे ।

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट कि और से अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस, सुनी गयी। निगरानी पक्ष के अधिवक्ता ने निगरानी मे दर्ज तथ्यो को दोहराया गया। कि गैरनिगराकार को जारी किया गया पट्टा अन्य कि खातेदारी भुमि में जारी किया गया है। जिसे निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने प्रकरण को पुनः ग्राम पंचायत को प्रति प्रेषित किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में अन्य की खातेदारी एंव बहस के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोगाथला द्वारा जारी पट्टा संख्या 977 दिनांक 23.02.2024 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

08/04/25

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द